

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)
अधिघोषणा

संख्या डी0 एल0 ए0 नालन्दा

पटना, दिनांक-31-07-13

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गाँव-सुरजपुर परगना-वेसवक, थाना नं0-423 थाना-बिहार, जिला नालन्दा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ह्वेनसांग स्मृति भवन नालन्दा के सामने सांस्कृति ग्राम आदि के निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव-सुरजपुर, थाना नं0-423 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश 49.10 एकड़ होता है, जिसका सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है:-
खेसरा सं0-767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 982, 983, 984, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1026, 1027, 1028, 1030, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1315, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346 सभी पूर्ण तथा खेसरा सं0- 733, 783, 897, 1010, 1012, 1013, 1019, 1025, 1029, 1031, 1032, 1246, 1247, 1269, 1270 एवं 1275 सभी अंश।

जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

उत्तर:- पूर्व में अर्जित भूमि एवं खेसरा सं0-820 अंश।

पूरब :- खेसरा सं0-909, 907, 906, 905, 1020 सभी पूर्ण तथा खेसरा सं0-783, 1032, 1031, 1025, 1019, 1013, 1012, 1010, 1246, 1247, 1274, 1275, 1270 एवं 1269 सभी अंश।

दक्षिण :- खेसरा सं0 1447 एवं 1392 पूर्ण।

पश्चिम :- पूर्व में अर्जित भूमि

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों को खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है, उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो, तो लिये जायेंगे।

यह घोषणा अधिनियम 1, 1864 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा-3 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय नालन्दा, बिहारशरीफ में देखा जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी,
नालन्दा

अपर समाहर्ता,
नालन्दा

समाहर्ता,
नालन्दा

सरकार के सचिव

- 1945/276

ज्ञापांक..... डी0 एल0ए0- नालन्दा, / - दिनांक...-31-07-13

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं प्रकाशित संस्करण का जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालन्दा, बिहारशरीफ एवं इस विभाग को प्रेषित करने हेतु।

2. **प्रतिलिपि :-** उप समाहर्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, नालन्दा, बिहारशरीफ को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालन्दा को दस प्रतियों में एवं इस विभाग को दस अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने के लिये।

3. **प्रतिलिपि :-** अपर समाहर्ता/समाहर्ता, नालन्दा, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6W
29/7/13
सरकार के सचिव
अवर